

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,  
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 201 / 111(1)-मृतक आश्रित नियुक्ति-2014

दिनांक 21 अगस्त, 2014

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)  
उत्तराखण्ड परिवहन निगम  
देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।

विषय:-उत्तराखण्ड परिवहन निगम में संयुक्त वरिष्ठता सूची के अनुरूप मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा मृतक आश्रितों की संयुक्त वरिष्ठता सूची क्रम संख्या 1 से 504 तक के मृतक आश्रितों की प्रकरण पत्रावलियों के शेष रह गये मृतक आश्रितों की पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति दिये जाने की संस्तुति की गई:-

- 1- मृतक आश्रितों के अभिलेखों की सत्यता का उत्तरदायित्व मण्डलीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 2- नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरणों में जिनमें मृतक के एक से अधिक उत्तराधिकारी हो उनमें सभी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।
- 3- समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि मुख्यालय स्तर से मण्डलीय प्रबन्धकों को मृतक आश्रितों की नियुक्ति की औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जो प्रोफार्मा पूर्व में भेजा गया है, उसी प्रारूप में मृतक आश्रित को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु अपने कार्यालय में बुलायें एवं सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये।
- 4- नियुक्ति प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी मृतक आश्रितों का पुलिस सत्यापन एवं सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा स्वास्थ्य परीक्षण /पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। किसी भी दशा में स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन कराये बिना नियुक्ति की कार्यवाही न की जाये। इसके अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित मृतक आश्रित द्वारा उपलब्ध कराये गये सेवा सम्बन्धी स्वप्रमाणित एवं दिनांक सहित अभिलेखों का सत्यापन नियुक्ति के पश्चात अधिकतम एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे। निगम मुख्यालय स्तर से समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण में इसे अनिवार्य रूप से देखा जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे एवं उनके साथ-साथ मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) भी उत्तरदायी होंगे।
- 5- समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि नियुक्ति किये जाने वाले सभी मृतक आश्रितों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा किसी न्यायालय में मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यदि दायर किया गया है तो सम्बन्धित मृतक आश्रित उक्त वाद को तत्काल न्यायालय से वापस लेने को सहमत होंगे।
- 6- समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि जिन प्रकरणों में मृतक आश्रित को चालक पद पर नियुक्ति दी जानी है उनके चालक संबंधी सभी अभिलेखों का गहन परीक्षण कर लिया जाये तथा निगम द्वारा चालक पद हेतु निर्धारित सभी अर्हतायें, चालक लाईसेन्स सम्बन्धी सभी अर्हतायें, ऊँचाई आदि के परीक्षण के उपरान्त समिति के माध्यम से चालक टैस्ट लिया जाये एवं उत्तीर्ण होने पर ही नियमानुसार चालक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाये।

इसी प्रकार मृतक आश्रितों के परिचालक पद पर नियुक्ति से पूर्व उनके परिचालक लाईसेन्स एवं अन्य अभिलेखों आदि की जाँच भी कर ली जाये।

- 7- समिति द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि जिन मृतक आश्रितों के प्रकरण में मुख्यालय/मंडलीय स्तर से अनापत्ति नहीं दी गई है ऐसे प्रकरणों में डिपो/मंडलीय स्तर से सम्बन्धित मृतक आश्रितों को लिये गये निर्णय से तत्काल अवगत करा दिया जाये। इस कार्य में कोई विलम्ब न किया जाये।
- 8- समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि किसी मृतक आश्रित द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चालक एवं परिचालक दोनों पदों हेतु प्रार्थना की गई है तो उस स्थिति में सम्बन्धित मृतक आश्रित को चालक पद हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- 9- नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरण जिनमें नियुक्ति दी जानी है, के मूल अभिलेखों को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे एवं निगम मुख्यालय के द्वारा जारी परिपत्र संख्या-196 दिनांक 5 अगस्त, 2013 एवं मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत आश्वस्त होने पर ही सम्बन्धित मृतक आश्रित को परिचालक/चालक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे। साथ ही मृतक आश्रित नियमावली एवं समय-समय पर संशोधित शासनादेशों के अनुसार "कुटुम्ब" की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले अर्ह मृतक आश्रित की नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।

उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2 संख्या 1633/XXX(2)/2004 देहरादून, 08 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना के द्वारा "कुटुम्ब" को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है।

"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:-

- (1) पत्नी या पति,
- (2) पुत्र,
- (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,
- (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 117/2013/24/IX/2013 दिनांक 30 जुलाई, 2013 के द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2748/औ0वि0-1/258 उद्योग/2001 दिनांक 7 जनवरी, 2002 तथा इस विषय पर सार्वजनिक उद्योग विभाग में सम्पन्न बैठक दिनांक 2 मई, 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश सेवाकाल मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के प्रावधानों एवं सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-63/2014/24/IX/2013 दिनांक 28 मई, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में समिति द्वारा देहरादून/नैनीताल/टनकपुर क्षेत्र से संयुक्त वरिष्ठता सूची के क्रमांक 01 से 504 तक के शेष प्रस्तावों में निम्नानुसार अनापत्ति/आपत्ति दी गई।

देहरादून क्षेत्र (चालक पद हेतु) -

क्र० सं०	संयुक्त वरिष्ठता क्रमांक	मृत कार्मिक का नाम स्व० श्री	पद नाम	डिपो	मृतक आश्रित का नाम	मृत्यु की तिथि	मण्डलीय प्रबन्धक की संस्तुति	मुख्यालय स्तर पर संस्तुति
1	48	स्व० श्री किशन चन्द शर्मा	चालक	ऋषिकेश	श्री अजय शर्मा	07.12.01	इनके भारी यात्री वाहन चलाने के पृष्ठांकन की तिथि 04.12.07 एवं हिल के पृष्ठांकन की तिथि 19.02.06 है। वर्तमान में वह चालक पद की पूर्ण अर्हता रखते हैं। अतः इनके चालक पद पर नियुक्ति की संस्तुति की जाती है।	शासन के पत्र संख्या-63 दिनांक 28 मई, 2014 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-3 के अन्तर्गत एवं मुख्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन श्री अजय शर्मा को चालक पद पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति दी जाती है।

2	256	स्व0 मौ0 इनाम खां	चालक	रूडकी	अब्दुल खालिक	30.12.05	अब्दुल खालिक के द्वारा अपना भारी परिवहन यान चलाने का लाइसेन्स सं0 यूपी 11-20060029288 प्रस्तुत किया जिसमें भारी यात्री वाहन के पृष्ठांकन की तिथि 15.11.07 एवं पर्वतीय मार्ग का पृष्ठांकन की तिथि 12.11.07 अंकित है। अतः अब्दुल खालिक, चालक पद की नियुक्ति के लिए पूर्ण अर्हताये रखते हैं इनकी चालक पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है।	शासन के पत्र संख्या-63 दिनांक 28 मई,2014 में उल्लिखित बिन्दु संख्या- 3 के अन्तर्गत एवं मुख्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन श्री अब्दुल खालिक को चालक पद पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति दी जाती है।
3	408 ए	स्व0 समेर सिंह	चालक	रूडकी	महिपाल सिंह	15.11.09	श्री महिपाल सिंह के द्वारा पात्रता अवधि के अन्तर्गत दिनांक 05.04.14 को नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया जिस कारण नि0मु0 द्वारा निर्गत सूची में इनका नाम अंकित नहीं था। इस प्रकार इनका नाम उक्त सूची में 408 ए पर अंकित होता है। श्री महिपाल सिंह का भारी यात्री वाहन चलाने का लाइसेन्स पाँच वर्ष पूर्व का है तथा हिल का पृष्ठांकन 16.11.10 में किया गया है। अतः श्री महिपाल सिंह की निगम में चालक पर पद नियुक्ति की संस्तुति की जाती है।	शासन के पत्र संख्या-63 दिनांक 28 मई,2014 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-1 एवं 3 के अन्तर्गत एवं मुख्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन श्री महिपाल सिंह को चालक पद पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति दी जाती है।
4	(30ए)	स्व0 रामस्वरूप	स्वयां नि0	ऋषिकेश	जीत सिंह	30.04.01	इनके चालक लाइसेन्स में भारी यात्री वाहन चलाने के पृष्ठांकन की तिथि 01.05.06 तथा हिल के पृष्ठांकन की तिथि 24.09.13 है। वर्तमान में भारी यात्री वाहन चलाने के 05 पूर्ण हैं परन्तु हिल एक वर्ष पूर्ण होने में तीन माह शेष हैं। उक्त में शिथिलता प्रदान किये जाने पर इनके चालक पद पर नियुक्ति की संस्तुति की जाती है।	शासन के पत्र संख्या-63 दिनांक 28 मई,2014 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-3 के अन्तर्गत एवं मुख्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन श्री जीत सिंह को चालक पद पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति इस शर्त के साथ दी जाती है कि इनकी चालक पद की औपचारिकताये पूर्ण कराते हुये इनका नियुक्ति पत्र दिनांक 24-9-2014 के उपरान्त जारी किया जाये,। चूंकि इस तिथि के उपरान्त इनके लाइसेन्स में हिल पृष्ठांकन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जायेगी।

